न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 155/2018

1. हरिमोहन पुत्र मूलचंद महावर जाति कोली निवासी पालावास तहसील दौसा जिला दौसा राज0।

...अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार दौसा दिनांक 03.05.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरिमोहन मु0नं0 01/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 04.03.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 03.05.2018 को ग्राम पालावास तहसील दौसा के आ0ख0नं0 179 कुल रकबा 0.14 है0 किस्म सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता मे से 0.01 है0 भूमि पर संवत 2075 में चबूतरा (देवता का चबूतरा) बनाकर अतिचार करने पर अपीलांट को दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा किसी भी रास्ता की भूमि मे नवीन अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलांट का पट्टाशुदा मकान से लगता हुआ देवताओं का चबूतरा है जो पचास साल से बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है एवं बयान भी दर्ज नही किये है। पटवारी हल्का ने नया चबूतरा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश की है जबकि देवताओं का चबूतरा पूर्वजों के समय से काफी पुराना बना हुआ है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा आबादी भूमि का पट्टा प्रति जो सरपंच ग्राम पंचायत जोपाडा द्वारा दिनांक 08.09.1983 को अपीलांट के पिता के नाम जारी किया गया है, की प्रति पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर कैफियत मे नया अतिक्रमण करने की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट धारा 91 पर राजकीय सिवायचक किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नं0 179 रकबा 0.01 है0 पर देवताओं का चबूतरा बनाकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर स्वयं अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया है। अतःअपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत

का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पट्टा प्रति दिनांक 08.09.1983 को अपीलांट के पिता को जारी किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिचार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक भूमि पर देवताओं का चबूतरा बनाकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 03.05.2018 द्वारा बेदखली, पैनल्टी का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे आम जनता पालावास का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम पालावास रोड के पास किये गये अतिक्रमण को हटवाने दिनांक 31.01.2018 संलग्न है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं सबूत का अवसर नही दिया गया। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में नवीन अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा